29.7.24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान हाजिर। प्रार्थना
पत्र, प्रार्थी स्वीकार किया जाता है, विस्तृत
निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा.पत्रा-
किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद
तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय बइजलास श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद

जिला कोटा

तारीख दायरा 20.06.2022

प्रकरण संख्या : 184 / 2020

उनवान

रामकरण पुत्र गोपाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम नयापुरा हाल कमोलर तहसील सांगोद।

–प्रार्थी

बनाम

1. लक्ष्मीचंद पुत्र पन्नालाल जाति तेली निवासी ग्राम कमोलर तहसील सांगोद कोटा।
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

दिनांक :– 29.07.2024

श्री रामप्रसाद नागर (वकील प्रार्थी)

श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता (वकील अप्रार्थी सं.1)

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम कमोलर तहसील सांगोद में ख.न. 478 की 0.15 है. चाही द्वितीय लगानी 4 रूपया 5 पैसा स्थित है। उक्त भूमि के सहारे पूर्व तथा उत्तर दिशाओं में अप्रार्थी लक्ष्मीचंद के खाते की ख.न. 323 की 1.24 है. भूमि लगी हुई है। प्रार्थी परिगणित पिछडी जनजाति मेघवाल समाज का काफी गरीब एवं मजदूर पेशा व्यक्ति है जिसका उक्त खाते की आराजी पर कृषि कार्यों हेतु वर्ष भर आवागमन करने का 30 फुट चौडा रास्ता कमोलर से डाबरीकलां जाने वाली आम सडक में प्रार्थी के खेत तक कायम चला आ रहा है किन्तु अप्रार्थी ने सवर्ण जाति का काफी लडाकू एवं धनाड्य व्यक्ति होने से गत कई वर्षो से प्रार्थी को उक्त रास्ते की भूमि उसके खाते की ख.न.

उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। जवाब सरकार प्राप्त हुआ। जिसके अनुसार प्रार्थी की आराजी पर आवागमन हेतु प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा अप्रार्थी लक्ष्मीचंद की आराजी ख.न. 323 की 1.24 है. में से 24 मीटर *9.144 मीटर = 219.456 वर्ग मीटर = 0.0219 है. भूमि पर रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है जो कि सांगोद बपावर रोड से 100 मीटर की परिधि में स्थित है जिसकी डी.एल. सी. दर से कीमत 70142.52 रूपये होती है व इसकी दुगनी राशि 140285.04 रूपये सम 140285 रूपये होती है तथा प्रार्थी हेतु उक्त 30 फुट चौडाई का रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। रास्ते का कुछ हिस्सा पंचायत क्षेत्र के ख.न. 482 की आबादी भूमि में आता है जिसका वर्तमान में सडक के रूप में उपयोग होता है एवं एप्रोच हेतु इस भूमि का भी उपयोग किया जावेगा। इसके संदर्भ में ग्राम पंचायत एवं ग्राम विकास अधिकारी कमोलर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एकतरफा बहस की गई तथा जवाब सरकार एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से दिनांक 25.011.2021 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया गया कि प्रार्थी की ख.न. 478 की 0.15 है. भूमि पर आवागमन हेतु अप्रार्थी सं. 1 लक्ष्मीचंद के खाते की ख.न. 323 की 1.24 है. आराजी में से अम्बेडकर छात्रावास के किनारे 24 मीटर *9.144 मीटर = 219.456 वर्ग मीटर = 0.0219 है. भूमि पर रास्ता कायम किया जावे तथा अप्रार्थी लक्ष्मीचंद के खाते की ख.न. 323 की भूमि 0.0129 है. भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु उक्त भूमि की डी.एल.सी. रेट 70142.52 रूपये की दो गुना राशि 140285.04 रूपये सम 140285 रूपये का भुगतान करने का आदेश जारी किया गया।

उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी सं. 1 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा में अपील की गई। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा द्वारा अपील स्वीकार कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक दिनांक 15.05.2022 को 25.011.2021 को खारिज किया गया गया तथा प्रकरण में अप्रार्थीगण को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए, रास्ते की चौडाई की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए पुनः मौका रिपोर्ट तैयार कर नए सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया तथा समस्त पक्षकारान को दिनांक 20.06.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित होने के लिए पाबन्द किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा के उक्त निर्देशों की पालना में पत्रावली पुनः दर्ज की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, परन्तु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण अप्रार्थी सं. 1 का जवाब बंद किया गया। तहसीलदार सांगोद द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी की आराजी पर आवागमन हेतु प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा अप्रार्थी लक्ष्मीचंद की आराजी ख.न. 323 की 1.24 है. में से 5 मीटर * 23 मीटर = 115 वर्ग मीटर = 0.0115 है. भूमि पर रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है जो कि सांगोद बपावर रोड से 100 मीटर की परिधि में स्थित है जिसकी डी.एल.सी. दर से कीमत 44577 रूपये होती है व इसकी दुगनी राशि 89154 रूपये होती है तथा प्रार्थी हेतु उक्त 5 मीटर चौडाई का रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त मौके पर बनी सडक/रास्ते से निकटतम रास्ते का अन्य कोई विकल्प नहीं है। रास्ते का कुछ हिस्सा पंचायत क्षेत्र के ख.न. 482 की आबादी भूमि में आता है जिसका वर्तमान में सडक के रूप में उपयोग होता है एवं एप्रोच हेतु इस भूमि का भी उपयोग किया जावेगा। इसके संदर्भ में ग्राम पंचायत एवं ग्राम विकास अधिकारी कमोलर द्वारा पूर्व में ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, जवाब सरकार, मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने स्वीकार किया जाता है तथा आदेश प्रदान किए जाते हैं कि –

माल ग्राम कमोलर पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा की प्रार्थी की ख.न. 478 की 0.15 है. भूमि पर आवागमन हेतु अप्रार्थी सं. 1 लक्ष्मीचंद के खाते की ख.न. 323 की 1.24 है. आराजी में से अम्बेडकर छात्रावास के किनारे 5 मीटर * 23 मीटर = 115 वर्ग मीटर = 0.0115 है. भूमि पर रास्ता कायम किये जाने हेतु आदेश दिये जाते हैं। अप्रार्थी लक्ष्मीचंद के खाते की ख.न. 323 की भूमि 0.0115 है. भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु उक्त भूमि की डी.एल.सी. रेट 44577 रूपये की दो गुना राशि 89154 रूपये का भुगतान करने पर ही उक्त आदेश की पालना की जावें। उक्त घोषणा के अनुक्रम में उक्त रास्ते की भूमि को अप्रार्थी लक्ष्मीचंद के खाते से खारिज कर राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की

उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

स्थिति मे. बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार मूल खातेदार पर यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

323 की भूमि होना बताकर प्रार्थी का उक्त खेत तक आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है जिसके कारण प्रार्थी की उक्त चाही भूमि गत कुछ वर्षों से पडत पडी हुई है।

प्रार्थी ने उक्त संबंध में हलका पटवारी कमोलर से की कुछ गवाहान के समक्ष दिनांक 20.4.2017 को मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर अम्बेडकर छात्रावास की दीवार के सहारे उक्त भूमि में से 30 फुट चौडाई की जगह रास्ते हेतु छुडवाकर उक्त भूमि के बदले अप्रार्थी लक्ष्मीचंद को अपने खाते की ख.न. 478 की भूमि में से उत्तरी मेड के सहारे की 2 मीटर चौडी भू–पट्टी अप्रार्थी के ख.न. 323 में मिला दी गई है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा पुनः बदनीयतिपूर्वक प्रार्थी को आम सडक से अपने खाते की ख.न. 478 तक भूमि तक छात्रावास की दीवार के सहारे की 30 फुट चौडाई में कायम रास्ते से आवागमन नहीं करने दे रहा है जबकि प्रार्थी ने उक्त रास्ते की भूमि पर कुछ ट्राली पत्थर डाल रखे हैं। इसी कारण उक्त भूमि रास्ते के अभाव में पडत पडी हुई है।

प्रार्थी के खाते की उक्त भूमि पर कृषि कार्यों हेतु आवागमन करने का कोई रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी अप्रार्थी को उसके खाते की ख.न. 323 की भूमि में से ख.न. 478 से आम सडक तक 60 फुट लंबी तथा 30 फुट चौडी भूमि को प्रार्थी मेघवाल जाति के सदस्य के खाते की भूमि को रास्ते की भूमि के बदले ख.न. 323 की भूमि में न मिलाना चाहे तो भी प्रार्थी अपने खेत के रास्ते के लिए अप्रार्थी के खाते की ख.न. 323 की भूमि में से उक्त 60 फुट लंबी एवं 30 फुट चौडाई की भूमि को 251(क) रा.का.अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक छुडवाकर अप्रार्थी को उक्त भूमि की डी.एल.सी. रेट की दो गुना राशि का भुगतान करने को तत्पर है। कानूनन उक्त प्रकार से प्रार्थी के खाते की ख.न. 478 की भूमि तक स्थायी रास्ता कायम हो जाने पर उक्त विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जावेगा।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है प्रार्थी की ग्राम कमोलर तहसील सांगोद में ख.न. 478 की 0.15 है. भूमि पर कृषि कार्यों हेतु आवागमन के लिए अप्रार्थी के खाते की ख.न. 323 की 1.24 है. भूमि में से अम्बेडकर छात्रावास कमोलर की उत्तरी दिशा की दीवार के सहारे 30 फुट चौडाई एवं 60 फुट लम्बाई के भूमि को स्थायी रूप से रास्ते के रूप में प्रयोग में लाने की आज्ञा फरमाई जावें तथा उक्त रास्ते की भूमि को अप्रार्थी लक्ष्मीचंद के खाते से खारिज कर राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज कराने के आदेश जारी किए जावें। उक्त रास्ते की भूमि के बाबत प्रार्थी नियमानुसार न्यायोचित क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थी को भुगतान करने हेतु तत्पर है।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 बावजूद सूचना न्यायालय हाजा में अनुपस्थित होने के कारण

उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)